न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/146 दायरा दिनांक : 02.09.2024

उनवान

1. मनोहरलाल
2. कन्हैयालाल
3. मदनलाल पिसरान चंदा, अकवाम तेली, निवासीयान ढाबलीकलॉ, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1. बजरंग
2. लीलाबाई
   सम्पतबाई पिसरान पन्ना, जाति तेली, निवासी ढ़ाबलीकलॉ, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड राजस्थान
4. शिवलाल आत्मज नारायण, जाति तेली, निवासी ढाबलीकलॉ, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राजस्थान
5. रामबाबू
6. सुरेश
7. इन्द्रा पिसरान गोपाल, अकवाम तेली, निवासीयान ढ़ाबलीकलॉ, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राजस्थान
8. भगवन्ती पत्नी गोपाल, अकवाम तेली, निवासीयान ढ़ाबलीकलॉ, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राजस्थान
9. मोहनलाल
10. रामकरण पिसरान जानकीलाल, अकवाम तेली, निवासीयान ढ़ाबलीकलॉ, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राजस्थान
11. प्रभू
12. दुर्गाशंकर आत्मज बालमुकंद
13. प्रेमबाई पत्नी बालमुकंद तेली, निवासीयान ढाबलीकलॉ, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राजस्थान
14. फूलचंद पिसरान मोती, अकवाम तेली, निवासीयान ढ़ाबलीकलॉ, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राजस्थान
15. सुन्दर
16. रूकमण पिसरान चंदा, अकवाम तेली, निवासीयान ढ़ाबलीकलॉ, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राजस्थान
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज०)
18. ओ. बी. सी. बैंक शाखा झालरापाटन जरिये प्रबन्धक ओ. बी. सी. बैंक शाखा झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज०)

.... रेस्पोडेंट

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री पूरी लाल राठौर अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री तंवर सिंह झाला अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13 व 14 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 01.08.2025

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के प्रकरण संख्या – 465/दावा/2013 (पुराना 384/10) निर्णय व डिक्री दिनांक 25.01.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92(ए), 209, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम ढ़ाबलीकलॉ, तहसील झालरापाटन के माल में हस्व जमाबन्दी सम्वत 2063 से 2066 खेवट संख्या 184 के अनुसार खसरा नं. 99 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नं. 105 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 158 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 169 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 488 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 492 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 493 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 499 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 500 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नं. 668 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नं. 669 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं. 670 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 671 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 672 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 673 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 674 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 675 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 676 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 677 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नं. 678 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 690 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 704 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नं. 705 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 709 खाली वाला कुआ रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं. 710 खाली वाला कुआ रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 712 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 721 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 727 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 736 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 739 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 740 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नं. 757 रकबा 15 बिस्वा कुल 32 किता कुल रकबा 41 बीघा 4 बिस्वा आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 25.01.2024 से वाद वादी फाईनल डिकी किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा भूमिधारी तहसीलदार झालरापाटन के बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 31.12.2020 को आधार मानकर खातेदारान के मध्य भूमि के विभाजन की अंतिम डिक्री पारित कर दी जिससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील प्रस्तुत की। नकल जमाबंदी ग्राम ढ़ाबलीकलॉ, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज०) संवत 2030–49 की खतोनी संख्या नयी 50 पुरानी 53 में आराजी खातेदार चंदा पन्ना पिसरान नंदा भाग 1/3, नारायण मोती पिता भेरू भाग 2/3 हिस्सा बराबर जाति तेली कुल खसरा 42 कुल रकबा 85.17 बीघा स्थित है। नकल जमाबंदी ग्राम ढ़ाबलीकलां, पटवार क्षेत्र डोंडा भू अभिलेख निरीक्षक झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज०) संवत 2067–70 की खतोनी संख्या नयी 188 पुरानी 179 में आराजी खसरा नं0 102 रकबा 4.14 बीघा, खसरा नं0 104 रकबा 4.03 बीघा, खसरा नं0 706 रकबा 3.00 बीघा, खसरा नं0 707 रकबा 7.07 बीघा, खसरा नं0 708 रकबा 2.17 बीघा कुल खसरा 5 कुल रकबा 22.01 बीघा आराजी स्थित है। नकल जमाबंदी ग्राम ढ़ाबलीकलां, पटवार क्षेत्र डोंडा, भू अभिलेख निरीक्षक झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज०) संवत 2067–70 की खतोनी संख्या नयी 193 पुरानी 184 में कुल खसरा 5 कुल रकबा 22.12 बीघा आराजी स्थित है।

अपील के चरण कमांक 1 के अनुसार कुल आराजी होती है 22.01 बीघा + 38.09 बीघा + 2.15 बीघा + 22.12 बीघा = कुल क्षेत्रफल 85.17 बीघा। यह कुल क्षेत्रफल 85.17 बीघा भूमि अपील के चरण कमांक 1 की भूमि के समान ही हैं। अपील के चरण कमांक 1 में वर्णित भूमि में चंदा, पन्ना पिसरान नंदा भाग 1/3, नारायण मोती पिता भेरू भाग 2/3 हिस्सा दर्ज है। वादग्रस्त आराजी अपील के चरण कमांक 1 के उपचरण कमांक 'अ' में वर्णित विवरण के अनुसार चंदा, पन्ना पिसरान नंदा का संयुक्त 1/3 हिस्सा है तदनुसार चंदा का एकल हिस्सा आधा बनता है अर्थात् 1/3 हिस्सा का आधा 1/6 बनता है, जिस बाबत ही अपील के चरण कमांक 1 में वर्णित जमाबंदियों में इन्द्राज हैं किन्तु राजस्व अधिकारियों तथा कर्मचारियों की गलती से वर्तमान की निम्न आराजीयात में खातेदार चंदा के वारिसान का 1/6 में नाम दर्ज नहीं हुआ है इस वादग्रस्त आराजी में चंदा के वारिसान अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 15 व 16 का सम्मिलित रूप से वादग्रस्त आराजी में 1/6 हक व हिस्सा निहित है तथा प्रत्येक का 1/30 हिस्सा निहित है, तदनुसार ही वादग्रस्त आराजी में अपीलार्थीगण के हिस्से व हक की घोषणा करवाना चाहते हैं तथा इसी अनुरूप वादग्रस्त आराजी का बंटवारा चाहते हैं, तथा उसी के अनुरूप अन्तिम डिक्री पारित की जाना विधितः सही होगा। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री राजस्व वाद 465/2013 पुराना 384/2010 शीर्षक जानकीलाल बनाम शिवलाल आदि निर्णय व डिक्री दिनांक 25.01.2004 को अपास्त किये जाने तथा वादग्रस्त आराजी में खातेदार

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

चंदा के वारिसान अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 15 व 16 का सम्मिलित रूप से वादग्रस्त आराजी में 1/6 हक व हिस्सा निहित है तथा प्रत्येक का 1/30 हिस्सा निहित है, तदनुसार ही वादग्रस्त आराजी में अपीलार्थी के हिस्से व हक की घोषणा व बंटवारा करवाये जाने की कृपा करें।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 28.03.2024 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि नकल जमाबंदी संवत 2030–2049 में कुल 42 खसरा कुल रकबा 85.15 बीघा अंकित है। सैटलमेंट ने 4 जमाबंदिया बनायी परन्तु 1/3, 1/3 हिस्सा नहीं दर्ज किया। चन्दा के वारिसान का 1/6 हिस्सा बनता है परन्तु जमाबंदी में नहीं दर्शाया गया किसी खाते में हिस्सा नहीं दिया तो दूसरे खाते में हिस्सा देना चाहिए था। हमें जितनी जमीन मिलनी चाहिए थी उतनी बंटवारे में नहीं मिली। बंटवारा प्रस्ताव पटवारी ने बनाया है। बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार को तैयार करना चाहिए। राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। अतः हमारा 1/6 हिस्सा जो बनता है वह हमें दिया जाये। बंटवारे में हमारा हिस्सा नहीं है। जमीन रेस्पोडेंट को ज्यादा दी गई है। अतः प्रकरण रिमाण्ड किया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में 2025 (1) डब्ल्यू. एल.सी. पेज 643 (एस.सी.), 2017 (1) आर.आर.टी. पेज 689, 2023 (1) आर.आर.टी. पेज 585 की नजीर उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि जमाबंदी संवत 2063–2066 के अनुसार बंटवारे के लिए दावा 2010 में अपीलांट का 1/6 हिस्सा दर्ज है, जो सही है। इसी जमाबंदी के बंटवारे का दावा है। पूर्व में फाइनल डिक्री रिमाण्ड हुई थी। इस जमाबंदी के अलावा अन्य किसी आराजी का दावा नहीं था तथा अपीलांट का काउंटर क्लेम भी नहीं था, ऐसी स्थिति में अन्य आराजी का रिलीफ कैसे मांग सकते हैं। बंटवारा स्कीम पर अपीलांट ने आपत्ति पेश की थी, पर उसमें भी स्कीम के गलत होने पर कोई आपत्ति नहीं है केवल अन्य आराजी की ही आपत्ति की है जो गलत है। मनोहरलाल बनाम सुन्दरबाई के नाम से अन्य दावा अधीनस्थ न्यायालय में अन्य आराजी को लेकर पेश किया है वह उसमें निर्णित होगा। हमारा हिस्सा दिया क्योंकि दावा हमारा था। अपीलांट का 1/6 हिस्सा शामलाती में

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दर्ज है काउंटर क्लेम नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। बालमुकन्द का हिस्सा भी हमारे साथ है। अतः अपील खारिज की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड में वादीगण रेस्पोडेंटगण जानकीलाल, प्रभुलाल, फूलचन्द बजरंगलाल, कंचन बाई व सम्पत बाई द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 209, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम ढाबली कलां, तहसील झालरापाटन के माल मे सम्वत 2063 से 2066 खेवट सख्या 184 की कुल किता 32 कुल रकबा 41.04 बीघा आराजीयात में वादीगण एव प्रतिवादीगण के सहखातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादी शिव लाल तथा गोपाल की बहन मांगीबाई थी जो मर गयी जिसके मरने पर नामान्तरण संख्या 657 विरासत दिनांक 20.06.2006 खुला एवं मांगी बाई का नाम खाते से कम हुआ। प्रतिवादीगण शिवलाल तथा गोपाल ने नामान्तरण संख्या 659 बेचान दिनांक 05.07.2006 के अनुसार खसरा नं. 169 रकबा 2.15 बीघा में उनका जो 1/3 हिस्सा था वह प्रतिवादिनी नं. 13 नर्बदा बाई पत्नी गोपाल, जाति खाती, निवासी ग्राम ढाबली कलां को बेच दिया जिस कारण कानून सम्मत विभाजन के समय गोपाल तथा शिव के हिस्से में आने वाली भूमि में से यह रकबा कम किया जावेगा। प्रतिवादीगण शिवलाल तथा गोपाल कानून के खिलाफ खसरा नं. 488, 492, 493, 499, 500, 736, 739, 740, 757 दीगर जनों को बेचकर मुन्तकिल करने पर उतारू है। आराजी सहखाते की है जिस कारण कोई भी सहखातेदार कोई विशेष खसरा नम्बरान का बेचान नहीं कर सकता है। अतः वादीगण कानून सम्मत विभाजन अच्छी में से अच्छी, बुरी में से बुरी किया जाकर प्रत्येक सहखातेदारों के हिस्से में आने वाली आराजीयात उनके खाते में दर्ज की जाये।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड ने प्रकरण में दिनांक 28.07.2010 को निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए अपने निर्णय में अंकित किया है कि वाद वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहमति के अनुसार दावा डिक्री किया

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जाकर आदेश दिया जाता है ग्राम ढाबली कलां, तहसील झालरापाटन की जमाबंदी संख्या 2063–66 में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या नया 184 पुराना 157 के कुल किता 32 रकबा कुल 41.04 बीघा का मौके पर अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजीयात का कानून सम्मत बंटवारा किया जावे। जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा बेचान हिस्सा आराजी को कम किया जावे तथा बैंक रहन का नोट यथावत रखा जावे। तहसीलदार तहसील झालरापाटन खाते में दर्ज सहखातेदारान व वाद में दर्ज वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य खाता आराजीयात का कानून सम्मत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करे।

तहसीलदार झालरापाटन द्वारा पत्रांक 10 दिनांक 11.08.2010 से विभाजन प्रस्ताव भिजवाने के पश्चात पक्षकारान से विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्राप्त की गयी। आपत्ति प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार झालरापाटन से पत्रांक 271 दिनांक 08.09.2010 से पुनः संशोधित बंटवारा प्रस्ताव हेतु पत्र भिजवाया गया। तहसीलदार झालरापाटन से पुनः बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.09.2010 से अंतिम डिक्री जारी की गयी।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.07.2010 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 14.09.2010 से अप्रसन्न होकर वादीगण अपीलांट द्वारा इस न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गयी। न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 04.01.2013 से निर्णय पारित किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील विरूद्ध प्राथमिक डिक्री सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.07.2010 यथावत रखा जाता है एवं अपील विरूद्ध अंतिम डिक्री आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 14.09.2010 अपास्त किया जाता है। प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव पर उभयपक्ष को सुनवायी का समुचित अवसर दिया जाकर प्राप्त आपत्तियों का विधिसम्मत तरीके से निस्तारण कर एवं तथ्यों का पूर्णरूप से उल्लेख करते हुए पुनः निर्णय पारित करे।

न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 04.01.2013 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः नये सिरे से तहसीलदार झालरापाटन द्वारा बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर अधीनस्थ न्यायालय झालावाड द्वारा दिनांक 25.01.2024 से अंतिम डिक्री जारी की गयी।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 22.12.2020 पटवारी एवं आई.एल.आर. द्वारा तैयार किया गया है, जिस पर तहसीलदार झालरापाटन द्वारा काउंटर हस्ताक्षर किये गये हैं। अपीलांट विवादित

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आराजी के सहखातेदार हैं परन्तु विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट के हस्ताक्षर अंकित नहीं है, जिससे प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि बंटवारा प्रस्ताव अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर जाकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तैयार करना आज्ञापक प्रावधान है। इस सन्दर्भ में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांट आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 689 एवं आर.आर.टी. 2023 (1) पेज 585 प्रस्तुत अपील पर विधिवत चस्पा होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संदर्भित प्रकरण में निर्णय व अंतिम डिक्री पारित करने में नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित नहीं करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 25.01.2024 खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 25.01.2024 खारिज की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार झालरापाटन को स्वयं मौके पर भेजकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा तैयार करवाकर प्राप्त करते हुए प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव पर पक्षकारान को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.09.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08/08/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा